मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

//आदेश //

भोपाल दिनांकः 04 /04/2025

क्रमांकः 358/2782789/2025/38-1:: शहीद भगत सिंह शासकीय पी.जी. महाविद्यालय पिपरिया में विश्वविद्यालयीन उत्तर पुस्तिकाओं की जाचं में अनियमितता एवं इस संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों की वास्तविकता की जांच समिति गठित कर कराई गई। जांच समिति द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.04.2025 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में यह स्पष्टतः पाया गया कि श्री पन्नालाल पठारिया, प्रयोगशाला परिचारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा सुश्री खुशबू पगारे अतिथि विद्वान हिन्दी को आवंटित उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया गया । श्री पन्नालाल पठारिया द्वारा अपने लिखित कथन में यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त उत्तरपुस्तिकाऐं उसने श्री राकेश कुमार मेहर, बुकलिफ्टर से प्राप्त की थी तथा मूल्यांकन कार्य के लिये 5000/- रूपये प्राप्त किये थे।

2/ सुश्री खुशबू पगारे अतिथि विद्वान (हिन्दी) से लिखित कथन लिये गये जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके द्वारा श्री राकेश कुमार मेहर, बुकलिफ्टर (जनभागीदारी समिति) के माध्यम से श्री पन्नालाल पठारिया से मूल्यांकन कार्य कराया गया है। इस कार्य के बदले में सुश्री खुशबू पगारे ने राकेश कुमार मेहर को रूपये 7000/- का नगद भुगतान भी किया है जिसमें से 5000/- पन्नालाल पठारिया को दिये जाने की बात कहीं गई है। सुश्री खुशबू पगारे अतिथि विद्वान के लिखित बयान पर श्री राकेश कुमार मेहर, बुकलिफ्टर स्थायीकर्मी जनभागीदारी समिति के बयान लिये गये जिसमें उसके द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में रूपये 7000/- नगद प्राप्त करने एवं पन्नालाल पठारिया से उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य कराने के लिये 5000/- रूपये देने के कथन की पुष्टि हुई है ।

3/ जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में मूल्यांकन कार्य में हुई गंभीर लापरवाही, अव्यवस्था एवं अनियमितता के लिये महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ0 राकेश कुमार वर्मा, प्राध्यापक, वाणिज्य एवं मूल्यांकन नोडल अधिकारी, डॉ0 रामगुलाम पटेल प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र प्रथम दृष्टया जिम्मेदार हैं, जो कदाचरण एवं घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है।

4/ अतः राज्य शासन द्वारा डॉ0 राकेश कुमार वर्मा, प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रभारी प्राचार्य एवं डॉ0 रामगुलाम पटेल प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया, जिला होशंगाबाद म.प्र. को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियो का मुख्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल निर्धारित किया जाता है।

SCAN AnyScanner

4/ निलंबन अवधि में डॉ0 राकेश कुमार वर्मा एवं डॉ0 रामगुलाम पटेल को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
4-4-25
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल,दिनांकः 04 /04/2025

पृ. क्रमांकः 359/2782789/2025/38-1
प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल म.प्र.।
5. कलेक्टर, होशंगाबाद म0प्र0 ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला होशंगाबाद म.प्र.।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा,भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल म0प्र0।
8. प्राचार्य, शहीद भगत सिंह शासकीय पी.जी महाविद्यालय पिपरिया, जिला होशंगाबाद
9. संबंधित अधिकारी –
   1. डॉ0 राकेश कुमार वर्मा, प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रभारी प्राचार्य, शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महा0 पिपरिया, जिला होशंगाबाद
   2. डॉ0 रामगुलाम पटेल, प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महा0 पिपरिया, जिला होशंगाबाद
10. आदेश फोल्डर ।

4-4-25
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

AnyScanner